

मुकदमा नं० 17/2021

तारीख रजू 11.11.2021

दावा बावत बटवारा, घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मिशाल आई0डी0 नम्बर 2021/545

उनवान

बालू पुत्र हुक्मी जाति माली निवासी कल्याणपुर सायटा तहसील हिण्डौन जिला करौली

—वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलैक्टर जिला करौली
2. लैण्ड होल्डर तामील जरिये तहसीलदार तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

—प्रतिवादीगण 2

दिनांक

फर्द अहकाम

11.11.2021

आज यह प्रार्थना पत्र वादीगण की ओर से श्री हरिवल्लभ चतुर्वेदी एडवोकेट ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी गण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर एवं तहसीलदार हिण्डौन से को पालना रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली दिनांक 09.12.2021 को पेश हो।

(अनूप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

9 ¹²/₂₀₂₁ अदालत उपस्थित/पीठस्थित अधिकारी... को पेश हो।
पधार है। गतानुसार दिनांक 15 ³/₂₀₂₂ को पेश हो।

15 ³/₂₂ पत्रावली प्रस्तुत आज वार एसोसियेशन द्वारा कार्य स्थगित किया है अतः पत्रावली पुनर्दिखानुसार दिनांक 23.6.22 को पेश हो।

23 ⁶/₂₀₂₂ पत्रावली प्रस्तुत आज वार एसोसियेशन द्वारा कार्य स्थगित किया गया है अतः पत्रावली पुनर्दिखानुसार दिनांक 21-7-2022 को पेश हो।

21 ⁷/₂₂ पत्रावली प्रस्तुत आज वार एसोसियेशन द्वारा कार्य स्थगित किया गया है अतः पत्रावली पुनर्दिखानुसार दिनांक 12-10-21 को पालना रिपोर्ट नं० 548 दि० 13-12-21 कर दी गई है। अतः पत्रावली में कार्यवाही दाय की जाती है। पत्रावली नं० 548 दि० 13-12-21 नम्बर में कम थी।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)